

कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम

क्रमांक / रसद / एफपीएस / आवंटन / 2017 / 923

दिनांक 4-8-2017

विज्ञप्ति

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जयपुर प्रथम (नगर निगम क्षेत्र) में 102 रिक्त उचित मूल्य दुकानों के लिये इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3(1) के तहत आवंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

जिला रसद अधिकारी कार्यालय जयपुर प्रथम से 100/- रुपये को पोस्टल आर्डर शुल्क में आवेदन पत्र दिनांक 16 अगस्त 2017 तक कार्यालय समय में प्राप्त किये जाकर दिनांक 30-08-2017 तक कार्यालय समय में आवश्यक दस्तावेज के साथ कार्यालय में जमा कराये जा सकेंगे। उपरोक्त रिक्तियाँ माननीय न्यायालयों में चल रहे मामलों में पारित होने वाले निर्णयों के अध्यक्षीन रहेगी।

दिनांक 17-03-2016 के दिशा निर्देश तथा रिक्त उचित मूल्य दुकानों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट food.raj.nic.in पर तथा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम कार्यालय में देखी जा सकती है।


नोट :- पूर्व विज्ञप्ति दिनांक 3-3-2015 के क्रम में जिन आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये थे उनको दुबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें मात्र आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का अवसर देय होगा।

रिक्त उचित मूल्य दुकानों का विवरण

क्र. सं.	डिविजन संख्या	नगर निगम वार्ड संख्या (नया)	रिक्त उचित मूल्य दुकान संख्या
1	1	87	11
2	1	89	15-ए
3	1	89	16-ए
4	1	91	704
5	1	91	711
6	2	68	42
7	2	73	49
8	2	73	50
9	2	73	55
10	2	69	88
11	3	74	113
12	3	74	125
13	4	75	140
14	4	75	146-ए
15	4	76	155
16	4	76	156
17	5	77	212
18	5	80	217-ए
19	5	80	220-ए
20	5	79	224
21	5	79	224-ए
22	5	79	232

23	5	79	233
24	5	81	243
25	5	80	219-ए
26	6	23	252
27	6	9	282
28	7	5	291
29	8	22	338
30	8	11	341
31	8	11	342
32	8	11	344-ए
33	8	11	345
34	8	7	350ए
35	8	12	358
36	8	27	432
37	8	6	728
38	10	59	464
39	10	66	474
40	10	65	476
41	10	65	477
42	10	67	479-ए
43	10	66	505
44	10	64	510
45	10	64	511
46	11	56	409
47	11	58	414
48	11	60	518-ए
49	11	62	523
50	11	62	525-ए
51	11	62	527
52	11	56	407
53	12	60	543-ए
54	12	60	543-सी
55	12	51	544-ए
56	12	51	544-बी
57	12	53	550-ए
58	12	55	568-ए
59	12	55	573
60	12	55	574
61	12	55	566
62	12	55	575-ए
63	12	52	560
64	13	46	555
65	13	45	556
66	13	45	557-बी

67	13	32	583
68	13	34	583-ए
69	13	34	583-बी
70	13	34	583-सी
71	13	34	583-डी
72	13	42	587-ए
73	13	40	588-डी
74	13	40	588-एच
75	13	44	590
76	13	54	592
77	13	44	597-ए
78	13	39	651
79	13	39	652
80	13	39	653
81	13	38	657-ए
82	13	38	658
83	13	38	664
84	13	38	665-बी
85	13	39	666-ए
86	13	39	667
87	13	39	667-ए
88	13	33	670-ए
89	13	39	673
90	13	38	675-ए
91	13	48	677-बी
92	13	50	679
93	13	44	594-ए
94	13	39	659-ए
95	4	76	160
96	6	82	260
97	1	91	702
98	1	90	722
99	8	14	366ए
100	8	11	347
101	12	55	571
102	12	52	561


जिला रसद अधिकारी
जयपुर प्रथम

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 17(1)खा.वि./विधि/08

जयपुर, दिनांक 17.03.2016

उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु दिशा-निर्देश

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उचित मूल्य दुकानों का कम्प्यूटराईजेशन करने के संबंध में पारित आदेश, भारत सरकार के निर्देश एवं उचित मूल्य दुकानों में महिला समूह व सहकारी समितियों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 3(1) के तहत उचित मूल्य दुकानों के प्राधिकार पत्र जारी किए जाने हेतु पूर्व में जारी समस्त आदेश/परिपत्र एवं दिशा-निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए नयी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु निम्नांकित दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं:-

आवंटन प्रक्रिया

1. उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिये अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएँ:-

- (i) शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान हेतु आवेदक उसी वॉर्ड का निवासी होना चाहिए, जिस वॉर्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है अर्थात् उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वार्ड्स में से किसी एक वॉर्ड का निवासी होना चाहिए।
ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान के मामलों में आवेदक उसी पंचायत के किसी भी ग्राम या वॉर्ड का निवासी होना आवश्यक है, जिस पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित है। एक से अधिक योग्य आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की स्थिति में वरीयता उसी वार्ड के निवासी को दी जायेगी जिसमें उचित मूल्य की दुकान स्थित है।
उचित मूल्य दुकान हेतु सभी श्रेणी के आवेदकों की आयु 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए अर्थात् उचित मूल्य दुकान के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- (ii) आवेदक की "शैक्षणिक योग्यता स्नातक एवं कम्प्यूटर में Rajasthan Knowledge Corporation Limited (RKCL) या अन्य समकक्ष सरकारी संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए"। यदि उचित मूल्य के दुकानों के आवेदकों में कोई भी आवेदक स्नातक स्तर की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसी स्थिति में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों के प्रार्थना पत्रों को भी आवंटन हेतु स्वीकार किया जा सकेगा। यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो तो आवेदन के साथ आवेदक से यह घोषणा भी लिया जावेगा, कि वह चयनित होने के 06 माह की अवधि में ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा व ऐसे चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद ही प्राधिकार पत्र दिया जावेगा।
- (iii) आवेदक को अन्नपूर्णा भण्डार हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने होंगे। यदि आवेदक पहले से ही अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों को पूर्ण करता है, तो उसकी पुष्टि में दुकान का नक्शा-स्वामित्व-किरायानामा आदि से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। जो आवेदक आवेदन के समय अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों को पूर्ण नहीं करते हैं उन्हें छः माह में मापदण्ड पूर्ण किये जाने का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। विशेष परिस्थितियों में ही मापदण्ड पूर्णता अवधि राज्य सरकार/जिला कलक्टर द्वारा अधिकतम छः माह बढ़ायी जा सकेगी। यदि घोषणा पत्र के अनुसार प्राधिकृत होने पर मापदण्ड पूर्ण नहीं किये जाते हैं, तो प्राधिकार पत्र निरस्त किया जा सकेगा
- (iv) उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरुष/महिला के दिनांक 01.01.2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित दो से अधिक संतान नहीं होनी चाहिये। निर्धारित तिथि

पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति आवेदन का पात्र नहीं होगा। उचित मूल्य दुकान आवंटन होने के पश्चात भी यदि किसी उचित मूल्य दुकानदार के तीसरी संतान होती है तो ऐसे उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्तनीय होगा, परन्तु किसी आवेदक के दिनांक 31.12.2014 को एक ही संतान है तथा पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती है, तो संतानों की गणना करते समय इस प्रकार एक प्रसव से पैदा हुई संतानों को एक इकाई ही समझा जाए।

2. आवेदन पत्र आमंत्रित करना:-

- (क) जिला रसद अधिकारी उचित मूल्य दुकान आवंटन हेतु रिक्तियों का निर्धारण कर, जिला कलक्टर से अनुमोदन प्राप्त कर, इन रिक्तियों का विवरण समाचार पत्रों एवं अन्य प्रचार माध्यमों में जिला जन सम्पर्क अधिकारी के मार्फत प्रेस नोट जारी कर विज्ञप्ति जारी करायेंगे।
- (ख) आवेदन पत्र केवल मात्र जिला रसद कार्यालय से जारी किये जायेंगे। अन्य किसी स्थान यथा टाईपिस्ट, नोटेरी/बुक स्टोर से प्राप्त किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। एक आवेदन पत्र का मूल्य 100/- निर्धारित किया जाता है। जिला रसद कार्यालय से आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क का भारतीय पोस्टल आर्डर (IPO) जमा कराया जाकर प्राप्त किये जा सकेंगे। प्रत्येक आवेदन पत्र का कमांक अंकित करते हुए आवेदक को उपलब्ध कराये गये आवेदन पत्रों का रजिस्टर संधारित किया जायेगा।
- (ग) आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में होगा, जिस पर आवेदनकर्ता का रंगीन पासपोर्ट साईज छायाचित्र लगा होना चाहिए।
- (घ) समस्त आवेदन पत्रों को आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर अभिशंषा करने का अधिकार आवंटन सलाहकार समिति को ही होगा। आवंटन सलाहकार समिति की अभिशंषा के अनुसार चयनित आवेदनकर्ता के आवेदन पत्र/उचित मूल्य दुकान तथा गोदाम के ब्लूप्रिन्ट के नक्शों के अनुसार मौके की जांच रिपोर्ट की जाकर आवेदन पत्रों के साथ संलग्न दस्तावेजों की सत्यता एवं उचित मूल्य दुकान के स्थान एवं गोदाम की उपयुक्तता के संबंध में संबंधित प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा स्पष्ट टिप्पणी की जायेगी।
- (ङ) आवेदक द्वारा निम्न बिन्दुओं को अंकित करते हुये एक घोषणा पत्र दिया जावेगा :-
- (1) आवेदक पूर्व में ई.सी. एक्ट के तहत दण्डित नहीं हुआ है।
 - (2) आवेदक द्वारा दुकान का संचालन स्वयं किया जावेगा।
 - (3) आवेदक के परिवार में किसी सदस्य यथा, माता-पिता, पुत्र एवं पुत्री के नाम से पूर्व में कोई दुकान नहीं है।
 - (4) आवेदक को विधिक रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
 - (5) आवेदक स्वयं निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं है।
 - (6) आवेदक बालिग एवं स्वस्थ चित हैं, चाल-चलन अच्छा है तथा कभी दिवालिया घोषित नहीं हुआ है।
 - (7) आवेदक द्वारा दिनांक 01.01.2015 के बाद दो से अधिक संतान नहीं होने का स्पष्ट कथन किया जायेगा।
- (च) प्रस्तावित दुकान का नक्शा प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक द्वारा संवीक्षा के समय प्रमाणित किया जावेगा।
- (छ) आवेदक द्वारा संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी न्यूनतम 1,00,000/- रुपये का हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। महिला स्वयं सहायता समूह के लिए कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता की अभिशंषा सहित समूह की वित्तीय हैसियत न्यूनतम 25,000 रुपये होना आवश्यक होगा।
- (ज) आवेदक द्वारा दी गयी सूचनायें गलत पाये जाने पर आवंटन रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।

3. आवंटन सलाहकार समिति :-

प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर अभिशंषा हेतु निम्न सदस्यों की तहसील स्तरीय समिति गठित होगी:-

(i) नगरीय क्षेत्रों हेतु:-

(क) जिला रसद अधिकारी		अध्यक्ष
(ख) नगर निगम/परिषद्/पालिका के अध्यक्ष/प्रशासक या उनके द्वारा मनोनीत बोर्ड का निर्वाचित सदस्य		सदस्य
(ग) कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता विभाग अथवा नामांकित अधिकारी		विशेष आमंत्रित सदस्य
(घ) सहकारिता विभाग का जिला उप-पंजीयक अथवा सहायक पंजीयक		विशेष आमंत्रित सदस्य
(ण) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत उसी क्षेत्र के		
(i) सामाजिक कार्यकर्ता	एक	सदस्य
(ii) उपभोक्ता	एक	सदस्य
(iii) महिला उपभोक्ता	एक	सदस्य

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों हेतु:-

(क) जिला रसद अधिकारी		अध्यक्ष
(ख) संबंधित ग्राम पंचायत का सरपंच		सदस्य
(ग) कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता विभाग अथवा नामांकित अधिकारी		विशेष आमंत्रित सदस्य
(घ) सहकारिता विभाग का जिला उप-पंजीयक अथवा सहायक पंजीयक		विशेष आमंत्रित सदस्य
(ण) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत उसी क्षेत्र के		
(i) सामाजिक कार्यकर्ता	एक	सदस्य
(ii) उपभोक्ता	एक	सदस्य
(iii) महिला उपभोक्ता	एक	सदस्य

आवंटन सलाहकार समिति के मनोनीत सदस्यों द्वारा अनियमितता बरतने पर इन्हें हटाये जाने का अधिकार राज्य सरकार को होगा।

आवंटन सलाहकार समिति के सभी सदस्यों से इस बाबत घोषणा पत्र प्राप्त किया जाये कि उचित मूल्य दुकानों के आवेदकों के साक्षात्कार की सूची में उनके परिवार का कोई सदस्य सम्मिलित नहीं है। यदि उनके परिवार का कोई सदस्य साक्षात्कार के लिए पात्र है, तो उक्त चयनकर्ता साक्षात्कार समिति की बैठक में भाग नहीं लेगा।

विशेष आमंत्रित सदस्यों को आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में तभी आमंत्रित किया जावे, जबकि प्राथमिकता क्रम 4(क) (i) एवं (ii) के आवेदन प्राप्त हुए हों तथा साक्षात्कार के लिए पात्र हो।

4. चयन प्रक्रिया एवं प्राथमिकता:-

आवंटन सलाहकार समिति प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर अपनी अभिशंषा जिला कलक्टर को प्रस्तुत करेगी। साक्षात्कार द्वारा आवेदकों के प्रार्थना पत्रों पर विचार के समय आवेदक के चयन के प्राथमिकता क्रम में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा चयन प्रक्रिया निम्नानुसार दो चरणों में पूर्ण की जावेगी:-

(क) प्रथम वरीयता (संस्थागत) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम के आधार पर चयन किया जावेगा:-

(i) ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस (वृहतर क्षेत्रीय बहुउद्देशीय सहकारी समिति)/दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति, जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं।

2
17/15

(ii) "महिला स्वयं सहायता समूह; जो राज्य सरकार के महिला अधिकारिता विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है। आवेदक महिला स्वयं सहायता समूह को तीन वर्ष का कार्यानुभव हो।

(iii) ग्राम पंचायत/निगमित निकाय

नोट:- आवेदक/समितियों/समूह/निकाय में सचिव/प्रबंधक का कम्प्यूटर दक्ष एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

विशेष:- यदि विज्ञापन किये जाने के पश्चात कम संख्या (i), (ii) व (iii) के अन्तर्गत एक ही आवेदन प्राप्त होता है, तो उसको प्राधिकार पत्र जारी किया जावेगा। इस श्रेणी के दो या दो से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर ही आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया अपनायी जावेगी।

(ख) द्वितीय वरीयता व्यक्तिगत (प्रथम वरीयता में आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर)

1. बेरोजगार

(i) निःशक्तजन

(ii) महिलायें

(क) शहीद की विधवा (वीरांगना)

(ख) विधवा

(ग) परित्यक्ता

2. भूतपूर्व सैनिक

3. अन्य पात्र बेरोजगार

(ग) आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा किसी पात्र व्यक्ति/संस्था का चयन बहुमत के आधार पर किया जायेगा जिसमें जिला कलक्टर का निर्णय अन्तिम होगा। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में जिला कलक्टर द्वारा राज्य सरकार को पत्रावली अग्रेषित की जावेगी। ऐसे प्रकरणों में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

(घ) किसी उचित मूल्य दुकान के लिए एक ही आवेदक द्वारा आवेदन किया गया है और वह अर्हताएँ पूर्ण करता है, तो उसका चयन किया जावेगा।

(ङ) आवंटन सलाहकार समिति की बैठक हेतु जिला रसद अधिकारी सहित तीन का कोरम पूर्ण किया जाना आवश्यक है।

4. अन्य प्रावधान:-

(i) जनजाति उपयोजना के अनुसूचित क्षेत्रों की उचित मूल्य दुकानों में 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित जनजातियों एवं 5 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के स्थानीय सदस्यों के अभ्यर्थियों से भरी जावेगी। इन क्षेत्रों में शेष 50 प्रतिशत रिक्तियां अनारक्षित वर्ग से भरी जावेगी।

(ii) बारां जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसील क्षेत्रों की उचित मूल्य दुकानों में से 45 प्रतिशत दुकानें स्थानीय सहरिया आदिम जाति के आवेदकों को एवं 5 प्रतिशत स्थानीय अनुसूचित जाति के आवेदकों को आवंटित की जावेगी।

(iii) वर्तमान में कार्यरत सभी प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदार एक वर्ष की अवधि में कम्प्यूटर का प्रशिक्षण आवश्यक रूप से प्राप्त करेंगे और प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। प्रशिक्षण अवधि (विशेष परिस्थितियों में ही) एक वर्ष के लिये कलक्टर की अनुशंसा पर राज्य सरकार के स्तर पर बढ़ायी जा सकेगी।

(iv) द्वितीय वरीयता के अन्तर्गत चयनित उचित मूल्य दुकानदार की कार्य अवधि अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक होगी।


(v) प्रत्येक आवेदक अथवा पदाधिकारी (महिला स्वयं सहायता समूह/ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्स/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के मामले में) को अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि उसके घर में कार्यशील शौचालय (functional toilet) है। उक्त प्रावधान उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिए अनिवार्य अर्हता होगी।

6. **प्राधिकार पत्र जारी करना:-**

- (i) उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंसा का जिला कलक्टर द्वारा अनुमोदन होने के 07 दिवस की अवधि में सभी संबंधित चयनित आवेदकों को जिला रसद अधिकारी द्वारा उनके उचित मूल्य दुकानदार चयनित होने की सूचना दी जायेगी। संबंधित उचित मूल्य दुकानदार द्वारा निम्न अवधि में निर्धारित आवश्यक औपचारिकताओं का संपादन किया जायेगा:-

क्र.सं.	कार्य का विवरण	निर्धारित अवधि
1	प्रतिभूति राशि जमा कराना	चयन आदेश जारी होने की दिनांक से अधिकतम 15 दिवस
2	उचित मूल्य दुकानदार द्वारा प्राधिकार पत्र प्राप्त करना	प्रतिभूति राशि जमा कराने की तारीख से अधिकतम 15 दिवस
3	उचित मूल्य दुकानदार द्वारा वितरण कार्य प्रारंभ करना	प्राधिकार प्राप्त करने की तिथि से अधिकतम एक माह

- (ii) उक्त अवधि समाप्त होने के बाद अधिकतम एक माह का रियायत अवधि काल (Grace period) जिला कलक्टर द्वारा बढ़ाया जा सकेगा। रियायत काल की समाप्ति के पश्चात ऐसे प्रकरण राज्य सरकार के निर्णयार्थ प्रेषित किये जायेगे।
- (iii) चयनित अभ्यर्थियों को जिला कलक्टर द्वारा फोटो युक्त प्राधिकार पत्र जारी किया जावेगा जिसके साथ उचित मूल्य दुकानदार का परिचय पत्र भी जारी किया जायेगा।



 (डॉ० सुबोध अग्रवाल)
 प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक एफ 17(1)खा.वि./विधि/08

जयपुर, दिनांक 17.03.2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 शासन सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान।
- 2 उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 4 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 5 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 6 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 7 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य विभाग, जयपुर।
- 8 समस्त अधिकारीगण, खाद्य विभाग (मुख्यालय), जयपुर।
- 9 समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
- 10 समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
- 11 सहायक निदेशक (जन सम्पर्क), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 12 समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान।
- 13 रक्षा पत्रिका।


 (महावीर प्रसाद शर्मा)
 अतिरिक्त खाद्य आयुक्त